.................नम्बर...वर्ष....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	25.11.2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी संख्या 01 श्री हरिनारायण पुत्र श्री घासीराम जाट,(विक्रेता व मालिक) निवासी ढ़ाणी डूंगरवाली, मुकाम हासपुर, तह. श्रीमाधोपुर सीकर, मैसर्स– बाबा इन्टरप्राजेज, सुराणी बाजार श्रीमाधोपुर सीकर कि ओर से एडवोकेट श्री श्रवण कुमार अग्रवाल व अप्रार्थी संख्या 02, श्रीमति सुनिता जैन पत्नी श्री लालचन्द जैन(मालिक) निवासी निर्माणनगर, अजमेर रोड़ जयपर, जिला–जयपुर मैसर्स–श्री गणेश ट्रेडर्स, सी–53,54, निर्माणनगर, अजमेर रोड़ जयपुर, जिला–जयपुर व अप्रार्थी संख्या 03 श्री अशोकभाई नाथाभाई सुखाड़िया पुत्र श्री नाथाभाई भगवानभाई (नोमिनी निर्माता फर्म) निवासी अमृता स्टेट एमजी रोड, राजकोट गुजरात मैसर्स श्री राधे डेयरी फार्म एण्ड फूड प्रा.लि. 427–428 स्काईव्यू स्वामी नारायण पार्किंग के पास, वरछा कामराज मैन रोड़ सूरत गुजरात उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण व वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.10.2021 को समय 02:50 पी.एम. पर श्रीमाधोपुर सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय क़िये जा रहे फर्म मैसर्स बाबा इन्टरप्राजेज, सुराणी बाजार श्रीमाधोपुर सीकर पर अप्रार्थी हरिनारायण गाय का घी(वास्तु) का विक्रय कर रहा था। अप्रार्थी को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। विक्रेता श्री हरिनाराण से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो अप्रार्थी ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2021 होना बताया व दिखाया। फर्म पर श्री अप्रार्थी नं. 1 द्वारा गाय का घी(वास्तु) का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध 2X16X1 लीटर गाय का घी(वास्तु) में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 4X1 लीटर गाय का घी(वास्तु) खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 1380 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अमानक व कोन्ट्रावेनस पाया गया। प्रार्थी, वकील अप्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2452 खाद्य पदार्थ गाय का घी का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अमानक व कोन्ट्रावेनस पाया गया। अमानक व कोन्ट्रावेनस खाद्य पदार्थ गाय का घी(वास्तु) का विक्रय करके खाद्य	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आवे।
	अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 व धारा 58 के तहत अप्रार्थीगण को 1,00,000 रू (अप्रार्थी नं. 1 को 25,000रु, अप्रार्थी नं. 2 को 25,000रू व अप्रार्थी नं. 03 को 50,000रू) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner